

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :स. 3-5(5)स्था/राजपत्रित/अभि/2016/261-75

जयपुर, दिनांक:- 08.06.2022

**आदेश**

निम्न सहायक अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारीगण का स्थानान्तरण लोकहित में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अभि०अधि०	कहाँ से	कहाँ को	वि०वि०
1.	श्री छोटूलाल माली अभियोजन अधिकारी	न्यायालय एसीजेएम, रामगढ़, अलवर	रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (RERA) नगरीय विकास विभाग	नवसृजित रिक्त पद पर
2.	श्रीमती अनिता रानी मीना, सहा. अभियोजन अधिकारी	न्यायालय एसीजे(जेडी) जेएम हनुमानगढ़	न्यायालय एसीजेएम, रामगढ़, अलवर (अभि.अधिकारी पद विरुद्ध)	श्री छोटूलाल के स्थान पर

क्रम संख्या 1 पर अंकित स्थानान्तरण स्वेच्छिक है। इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

संबंधित उप/सहायक निदेशक निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारी की कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

Sd/-  
(चंचल मिश्रा)  
निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
3. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
4. संबंधित उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
5. संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन।
6. उप/सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
7. संबंधित कर्मचारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन \_\_\_\_\_।
8. संस्थापन शाखा (मंत्रालयिक)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

(चंचल मिश्रा)  
8/6  
निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान, जयपुर